

मांग संख्या 41
मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1 से 3

शासकीय महाविद्यालयों में सेटलाईट बेस्ड क्लासरूम की स्थापना हेतु आकस्मिकता निधि से ₹ 300 का प्रतीक अग्रिम लिया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि से लिये गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 300 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष-2210

मद क्रमांक 4 से 15

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय, अंबिकापुर के विभिन्न मदों में ₹521.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 5,21,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 16 से 17

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना हेतु ₹ 2092.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 20,92,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 18 से 19

छत्तीसगढ़ राज्य बीमारी सहायता निधि (संजीवनी कोष) हेतु ₹ 900.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 9,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2216

मद क्रमांक 20 से 21 (7807)

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) योजना अंतर्गत ₹ 19200.00 लाख अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 192,00,00,000 के अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2408

मद क्रमांक 22 से 23

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण हेतु ₹ 75.04 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 75,04,646 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2505

मद क्रमांक 24 से 25 (6728)

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत ₹ 3230.00 लाख अतिरिक्त व्यय संभावित है।
अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 32,30,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2801

मद क्रमांक 26

उपभोक्ताओं को विद्युत शुल्क में राहत हेतु सब्सिडी अंतर्गत ₹ 10836.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,08,36,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2852

मद क्रमांक 27

औद्योगिक इकाईयों को लागत पूंजी अनुदान हेतु ₹ 200.00 लाख अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु ₹ 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4202

मद क्रमांक 28

इमारतों का अनुरक्षण लघु निर्माण कार्य एवं मरम्मत हेतु ₹ 1300.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 29

भवन विहीन छात्रावास/आश्रम हेतु नाबार्ड से ऋण हेतु ₹ 100.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4210

मद क्रमांक 30

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय, अंबिकापुर में द्वितीय वर्ष के लिए अधोसंरचना हेतु आकस्मिकता निधि से ₹ 100 का प्रतीक अग्रिम लिया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि से लिये गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 100 का प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 31

सिविल अस्पताल मनेन्द्रगढ़ को पीपीपी मोड के माध्यम से संचालन हेतु अधोसंरचना मद में ₹ 100.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 32

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, अंबिकापुर में द्वितीय वर्ष के लिए अधोसंरचना हेतु आकस्मिकता निधि से ₹ 100 का प्रतीक अग्रिम लिया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि से लिये गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 100 का प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4225

मद क्रमांक 33

बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण हेतु ₹ 325.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 3,25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 34

सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण हेतु ₹ 300.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 3,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4801

मद क्रमांक 35

कृषि पम्पों के ऊर्जाकरण हेतु ₹ 2280.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 22,80,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4810

मद क्रमांक 36

सौर ऊर्जा के माध्यम से शुद्ध पेयजल की व्यवस्था के लिए सोलर पंप हेतु सहायक अनुदान अंतर्गत ₹ 380.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 3,80,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 37

अविद्युतीकृत ग्रामीण मजराटोला/बसाहटों के सौर ऊर्जा आधारित विद्युतीकरण हेतु ₹ 1520.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 15,20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 38

सौर सुजला योजना के लिए नाबार्ड मद में सोलर पम्प हेतु सहायक अनुदान अंतर्गत ₹ 1534.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 15,34,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 5054

मद क्रमांक 39 (7475)

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना अंतर्गत निम्नलिखित 4 सड़को हेतु ₹ 115.00 लाख अतिरिक्त व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जाएगा। विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	जिला	सड़क का नाम	विकासखण्ड	प्रस्तावित लंबाई (कि. मी.)	अनुमानित लागत (लाख में)
1	राजनांदगांव	ग्राम मांझीटोला से रैनीटोला पहुँच मार्ग	अं. चौकी	2.00	129.30
2.	राजनांदगांव	ग्राम बांधाबाजार जोरातराई से दैहान	अं. चौकी	3.00	185.69
3.	बस्तर	चिलकुटी नवागुडा पारा से कुरंदी पहुँच मार्ग	जगदलपुर	1.80	135.46
4.	जशपुर	नगड़ा से सरूवा बस्ती पहुँच मार्ग	मनोरा	1.80	128.70

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 6408

मद क्रमांक 40

नाबार्ड सहायता से गोदाम निर्माण हेतु राशि ₹ 19.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 19,00,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।